BCCI BULLETIN

Vol. XXXXX | January 2019 | No. 01

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

महामहिम राज्यपाल से मिला चैम्बर का प्रतिनिधिमंडल, दी नव वर्ष की बधाई

महामहिम राज्यपाल श्री लाल जी टंडन को पुष्पगुच्छ भेंट कर नव वर्ष की बधाई देते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल। साथ में उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, श्री सुभाष कुमार पटवारी, श्री राजेश खेतान, श्री सुनील सराफ, श्री आलोक पोद्दार, श्री प्रदीप चौरसिया एवं श्री रामा शंकर प्रसाद।

दिनांक 26 जनवरी 2019 को पूर्वाह्न 11 बजे चैम्बर प्रांगण में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर 70वाँ गणतंत्र दिवस समारोह मनाया। इस अवसर पर चैम्बर सदस्य काफी संख्या में उपस्थित थे।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज का एक प्रतिनिधिमंडल चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल के नेतृत्व में दिनांक 01 जनवरी, 2019 महामहिम राज्यपाल श्री लाल जी टंडन से मिला एवं उन्हें पुष्पगुच्छ देकर नव वर्ष की शुभकामना दी।

महामहिम राज्यपाल ने भी प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को नव वर्ष की बधाई दी एवं सभी के जीवन में शांति एवं समृद्धि की शुभकामना की।

इसके अतिरिक्त प्रतिनिधिमंडल ने माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी, माननीय पथ निर्माण मंत्री श्री नन्द किशोर यादव, माननीय उद्योग मंत्री श्री जय कुमार सिंह, वाणिज्य-कर आयुक्त डॉ० प्रतिमा, प्रधान सचिव उद्योग श्री के० के० पाठक एवं मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री अंजनी कुमार सिंह से भी मिलकर नव वर्ष की बधाई दी। प्रतिनिधिमंडल ने श्री अंजनी कुमार सिंह के गार्डेन का भी अवलोकन किया।

अध्यक्ष की कलम से-----

प्रिय बन्धुओं

चैम्बर का एक प्रतिनिधिमंडल मेरे नेतृत्व में दिनांक 1 जनवरी, 2019 को महामहिम श्री लालजी टंडन, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी, माननीय पथ निर्माण मंत्री श्री नन्द किशोर यादव, माननीय उद्योग मंत्री श्री जय कुमार सिंह, माननीय मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री अंजनी सिंह, प्रधान सचिव, उद्योग श्री के0 के0 पाठक एवं वाणिज्य–कर आयुक्त डॉ0 प्रतिमा से मिला और उन्हे नववर्ष की बधाई दी।

इसी माह वाराणसी (उत्तर प्रदेश) में दिनांक 21 से 23 जनवरी, 2019 तक आयोजित "प्रवासी भारतीय दिवस" में चैम्बर की सहभागिता हेतु चैम्बर का एक प्रतिनिधिमंडल मेरे ही नेतृत्व में शामिल हुआ। बिहार सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से काफी अच्छा प्रबन्ध किया गया था।

दिनांक 24 जनवरी, 2019 को चैम्बर प्रांगण में फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसियेशन (FIA) (USA) एवं बिहार झारखंड एसोसियेशन ऑफ नार्थ अमेरिका (BJANA) के साथ चैम्बर के सदस्यों के साथ एक बैठक सम्पन्न हुई। इस अवसर पर माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी, माननीय श्रम संसाधन मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा एवं पूर्व मंत्री बिहार श्री अशोक चौधरी भी उपस्थित थे। बैठक काफी उपयोगी रही। विस्तृत रूप से बैठक की जानकारी इसी बुलेटिन में सदस्यों की सूचनार्थ प्रकाशित है।

28 जनवरी, 2019 को चैम्बर की ओर से आगामी बजट हेतु विस्तृत ज्ञापन माननीय उप मुख्यमंत्री को समर्पित किया गया जिसके मुख्य अंश इसी बुलेटीन में आगे प्रकाशित है।

बन्धुओं, बजट से अपेक्षाएं तो बहुत हैं फिर भी यह तो 1 फरवरी, 2019 को पता चलेगा कि बजट कैसा रहेगा, बिहार को क्या मिला, व्यवसायियों के हित में क्या मिला और आम जनता को क्या मिला।

सादर,

आपका

पी. के. अग्रवाल

वाणिज्य-कर आयुक्त डॉ० प्रतिमा को पुष्पगुच्छ देकर नववर्ष की बधाई देते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल। साथ में प्रतिनिधिमंडल के सदस्यगण।

माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी को पुष्पगुच्छ देकर नववर्ष की बधाई देते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल। साथ में प्रतिनिधिमंडल के सदस्यगण।

माननीय पथ निर्माण मंत्री श्री नन्द किशोर यादव को पुष्पगुच्छ देकर नववर्ष की बधाई देते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल। साथ में प्रतिनिधिमंडल के सदस्यगण।

माननीय उद्योग मंत्री श्री जय कुमार सिंह को पुष्पगुच्छ देकर नववर्ष की बधाई देते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल। साथ में प्रतिनिधिमंडल के सदस्यगण।

माननीय मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री अंजनी कुमार सिंह को पुष्पगुच्छ देकर नववर्ष की बधाई देते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल। साथ में प्रतिनिधिमंडल के सदस्यगण।

प्रतिनिधिमंडल में उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, श्री सुभाष कुमार पटवारी, श्री राजेश खेतान, श्री सुनील सराफ, श्री आलोक पोद्दार, श्री प्रदीप चौरसिया एवं श्री रामा शंकर प्रसाद शामिल थे।

चैम्बर अध्यक्ष आयकर विभाग द्वारा आयोजित नववर्ष कार्यक्रम में सम्मिलित

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त श्री के० सी० घुमरिया को पुष्पगुच्छ भेंट कर नव वर्ष की बधाई देते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल।

केक काटकर नववर्ष मनाते श्री के० सी० घुमरिया, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल एवं अन्य।

कार्यक्रम को संबोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल।

नववर्ष के अवसर पर आयकर विभाग द्वारा दिनांक 2.1.2019 को एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल भी मंचासीन थे। प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त श्री के० सी० घुमारिया, चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल एवं अन्य द्वारा केक काटकर नववर्ष मनाया गया।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने उक्त कार्यक्रम में प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त श्री के० सी० घुमारिया को पुष्प गुच्छ भेंटकर उनका स्वागत किया। चैम्बर अध्यक्ष ने इस कार्यक्रम को सम्बोधित भी किया। उक्त कार्यक्रम में चैम्बर सदस्य श्री सुनील सराफ एवं श्री आलोक पोद्दार भी शामिल हुए।

चैम्बर अध्यक्ष बिहार इलेक्ट्रिक ट्रेडर्स एसोसियेशन द्वारा आयोजित चार दिवसीय ''बिहार इलेक्ट्रिकल ट्रेड शो'' के उद्घाटन के अवसर पर सम्मिलित हुए

कार्यक्रम का उद्घाटन करते माननीय उपमुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी, चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल, श्री दिनेश अग्रवाल, श्री रमेश अग्रवाल एवं अन्य।

बिहार इलेक्ट्रिक ट्रेडर्स एसोसियेशन (BETA) द्वारा न्यू पटना क्लब के प्रांगण में 4-7 जनवरी, 2019 (चार दिवसीय) 'बिहार इलेक्ट्रिकल ट्रेड शो' के उद्घाटन के अवसर पर दिनांक 4 जनवरी, 2019 को चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल सम्मिलित हुए।

उक्त अवसर पर माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी के अतिरिक्त आयोजन के मुख्य स्पान्सर ग्रेट हाईट ग्लोबल प्रा० लि० के निदेशक श्री हेमंग शाह मुख्य अतिथि सहित सुप्रसिद्ध कम्पनियों के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

माननीय उपमुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल। साथ में एसोसियेशन के अध्यक्ष श्री संदीप सराफ एवं अन्य।

मंचासीन मा० उपमुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी, चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल, एसोसियेशन के पूर्व अध्यक्ष श्री दिनेश अग्रवाल, अध्यक्ष श्री संदीप सराफ एवं अन्य।

कार्यक्रम को संबोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल।

चैम्बर अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि BETA अपने स्थापना काल से ही अपने सदस्यों के हितार्थ संघर्षरत रहा है। पहले भी इस संस्था द्वारा आयोजन हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन Electrical Traders एवं Manufactures के लिए काफी लाभप्रद होते हैं। उन्होंने इस आयोजन के भव्यता की कामना की।

इस अवसर पर माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी को चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने पौधा भेंटकर एवं शॉल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया।

चैम्बर ने पूर्व अध्यक्ष स्व० खेमचन्द चौधरी जी की 44वीं पुण्य तिथि मनायी

स्व० खेमचन्द चौधरी के चित्र पर माल्यार्पण करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 14 जनवरी, 2019 को चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष स्व० खेमचन्द चौधरी जी की 44वीं पुण्यतिथि मनायी गयी। चैम्बर अध्यक्ष ने अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा कि स्व० चौधरी एक निर्भीक, स्पष्टवादी, दयालु और सहज स्वभाव के व्यक्ति थे। दिनांक 14 जनवरी, 1975 को चैम्बर की ओर से जरूरतमंदों के बीच कम्बलों का वितरण करने कार से दरभंगा जा रहे थे। रास्ते में कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गयी। तब से चैम्बर उनकी पुण्यतिथि मना रहा है। वे व्यापार, उद्योग एवं समाज की प्रगति हेतु सदैव समर्पित थे। उन्होंने अपना जीवन परोपकार, सच्चाई एवं सादगी में व्यतीत किया। व्यापार जगत की बात सरकार सुने इसके लिए वे जोरदार एवं निर्भीक प्रयास करते थे। उन्होंने कहा कि जीवन-मरण सभी के साथ होता है परन्तु स्व० चौधरी जी की मृत्यु परोपकार करते हुए हुई।

उक्त अवसर पर अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए श्री पुरूषोत्तम चौधरी ने कहा कि स्व० चौधरी जी ने अपना सारा जीवन परोपकार में व्यतीत किया। चैम्बर की गतिविधियों में उनका काफी समय व्यतीत हुआ। चैम्बर अध्यक्ष के नाते वे चैम्बर की तरफ से कम्बल बांटने दरभंगा जा रहे थे अर्थात् उनकी मृत्यु भी पुनीत कार्य में ही हुई। उनके साथ के लोग उनकी निर्भीकता से परिचित थे। चैम्बर की आम सभा के दौरान उन्होंने जो निर्भीक भाषण दिया, उसे सारे समाचार पत्रों ने प्रमुखता से छापा था। उनके बताये मार्ग पर हम चलें, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

स्व० खेमचन्द चौधरी के पौत्र श्री अमर चौधरी ने अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा कि चैम्बर हमारे दादा जी की 44वीं पुण्यतिथि मना रहा है, यह हमारे लिए काफी गौरव की बात है। उनके बताये मार्ग पर मैं चल सकूं यही मेरी उनके प्रति श्रद्धांजलि होगी।

इस अवसर पर चैम्बर के महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, श्री विशाल टेकरीवाल, श्री सुभाष पटवारी, श्री पी० के० सिंह, श्री सांवल राम डूंलिया, श्री प्रदीप चौरसिया, श्री अग्रवाल यशपाल, श्री राजेश खेतान, श्री ए० एम० अंसारी उपस्थित थे।

चैम्बर अध्यक्ष द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम हेतु सहयोग एवं सम्पर्क कार्यक्रम का उद्घाटन

कार्यक्रम का दीप प्रज्ज्वलित कर उद्घाटन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल (दाँयें से तीसरे)।
साथ में पीएनबी के महाप्रबंधक श्री डी० के० पालीवाल एवं यूनियन बैंक के अधिकारीगण।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल को पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत करते यूनियन बैंक के अधिकारी।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दिनांक 18 जनवरी, 2019 को चैम्बर प्रांगण में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम हेतु सहयोग एवं सम्पर्क कार्यक्रम आयोजित हुआ।

कार्यक्रम का उद्घाटन चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पी०एन०बी० पटना के महाप्रबन्धक श्री डी० के० पालीवाल ने केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी।

इस अवसर पर चैम्बर अध्यक्ष को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया।

नये उद्यमियों को सरकार देगी रु. एक करोड़ तक का कर्ज

राज्य सरकार नये उद्यमियों के लिए अपना खजाना खोलेगी। उद्योग विभाग अपने उपक्रम के जरिए नया उद्योग लगानेवाले या नया उद्यम स्थापित करने वालों को अधिकतम एक करोड़ रुपये तक का ऋण उपलब्ध करायेगी। जल्द ही इस संबंध में कैबिनेट में प्रस्ताव जायेगा। टर्म लोन और कार्यशील पूंजी के लिए बैंकों का चक्कर नये उद्यमियों को नहीं लगाना पड़ेगा। राज्य सरकार इन दिनों सूबे के औद्योगिक फोकस किये हुए है। बंद पड़ी औद्योगिक इकाईयों को चालू करने के लिए सरकार ने योजना लायी है। जबकि कर्जदारों के लिए ओटीएस स्कीम लाया गया है। बंद पड़ी औद्योगिक इकाईयों को चालू करने के लिए सरकार पाँच फीसदी पर ऋण उपलब्ध करायेगी। इसके बाद अब सरकार नये उद्यमियों के लिए ऋण की योजना ला रही है।

विभागीय सूत्रों के अनुसार उद्योग विभाग एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है कि वह अपनी एजेंसियों के माध्यम से नये उद्यमियों को ऋण उपलब्ध करायेगी। बीएसएपसी, बिसिको के माध्यम से यह कर्ज मिलेगा। उद्यमियों को एक करोड़ तक का कर्ज मिलेगा। बताया जा रहा है कि जल्द ही इस संबंध में कैबिनेट में एक प्रस्ताव जायेगा। चालू वित्तीय वर्ष में ही इस योजना के चालू होने की संभावना है।

(साभार : प्रभात खबर,

वराणसी में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस में चैम्बर की सहभागिता

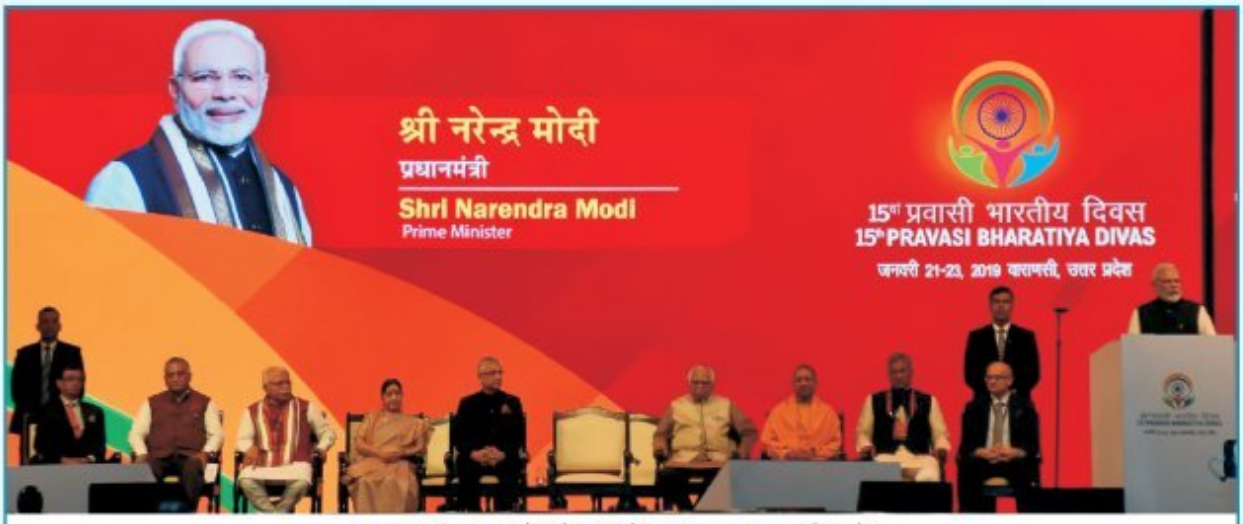

प्रवासी भारतीय दिवस को संबोधित करते माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्री मोदी।

प्रवासी दिवस के अवसर पर उपस्थित (बाँयें से दाँयें) सर्वश्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल, आलोक पोद्दार, रामा शंकर प्रसाद, उपाध्यक्ष एन० के० ठाकुर, सुनील सराफ, मनोज आनन्द, अध्यक्ष पी० के० अग्रवाल, पी० के० सिंह, प्रदीप चौरसिया, राजेश खेतान एवं उपाध्यक्ष मुकेश कुमार जैन।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज का एक प्रतिनिधिमंडल चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल के नेतृत्व में वाराणसी (उत्तर प्रदेश) में दिनांक 21 से 23 जनवरी, 2019 तक आयोजित होने वाले ''प्रवासी भारतीय दिवस'' में सम्मिलित हुआ।

प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया।

कार्यक्रम का समापन महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोबिन्द जी ने किया।

कार्यक्रम के दौरान प्रवासी भारतियों एवं चैम्बर के सदस्यों के बीच आपसी विचारों के आदान-प्रदान का कई दौर चला।

बिहार सरकार का पेवेलियन भी काफी आकर्षक था। प्रतिनिधिमंडल में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, श्री पी० के० सिंह, श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल, श्री राजेश खेतान, श्री आलोक पोद्दार, श्री प्रदीप चौरसिया, श्री सुनील सराफ, श्री मनोज आनन्द, श्री रामा शंकर प्रसाद, श्री गणेश खेमका एवं श्री के० के० अग्रवाल शामिल थे।

फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसियेशन (USA) एवं बिहार झारखंड एसोसियेशन ऑफ नार्थ अमेरिका के साथ चैम्बर की बैठक सम्पन्न

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 24 जनवरी, 2019 को फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसियेशन (FIA) (USA) एवं बिहार झारखंड एसोसियेशन ऑफ नार्थ अमेरिका (BJANA) के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित हुई।

इस अवसर पर माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी, माननीय श्रम संसाधन मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा एवं पूर्व मंत्री बिहार श्री अशोक चौधरी उपस्थित थे।

श्री पी० के० अग्रवाल, चैम्बर अध्यक्ष ने अपने स्वागत सम्बोधन में कहा कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसियेशन (FIA) (USA) अमेरिका में रहने वाले भारतीयों की एक संस्था है तथा बिहार झारखंड एसोसियेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका पूरे USA में रहने वाले बिहार एवं झारखंड के लोगों की संस्था है। उन्होंने आगे बताया कि इस बैठक का उद्देश्य विचारों का आदान प्रदान करना है जिससे कि यहाँ के लोग अपना निवेश USA में कर सकें तथा प्रवासी भारतीय लोग भारत में अपना निवेश कर सकें।

उन्होंने कहा कि यह बहुत ही खुशी की बात है कि भारत के लोग दूसरे देशों में रहकर वहाँ के लोगों के साथ समन्वय बनाकर अपने कार्यों से भारत का

बैठक को संबोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल। उनकी बाँयीं ओर माननीय श्रम संसाधन मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी, अध्यक्ष FIA श्री आलोक कुमार, उपाध्यक्ष BJANA डॉ० अविनाश गुप्ता, चेयरमैन FIA श्री रमेश पटेल, BIANA के महासचिव श्री संजीव सिंह, BJANA के कोषाध्यक्ष श्री अनुराग कुमार, उपाध्यक्ष FIA श्री हिमांशु भाटिया, पूर्व उपाध्यक्ष FIA श्री अंकुर वैद्य एवं अन्य।

कार्यक्रम को संबोधित करते माननीय श्रम संसाधन मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा। उनकी दाँयीं ओर क्रमशः चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल, पूर्व मंत्री श्री अशोक चौधरी, उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल एवं अन्य।

माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल।

माननीय श्रम संसाधन मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल।

नाम ऊँचा कर रहे हैं। उन्होंने बिहार में निवेश की संभावनाओं के बारे में दोनों संस्थाओं के सदस्यों को जानकारी दी तथा बिहार में निवेश करने वाले निवेशकों को सरकार की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं का उल्लेख किया।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि आज बिहार को पैसे की नहीं बल्कि नई तकनीक की आवश्यकता है। मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में सरकार सक्षम है पर जरूरत है नये अविष्कारों की। अमेरिका में जा बसे बिहारियों का स्वागत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आज बिहार काफी हद तक बदल चुका है। इसका अहसास उनलोगों को है जो 10-15 वर्ष पहले यहाँ आये होंगे। बिहार की सबसे बड़ी उपलब्धि घर-घर तक बिजली पहुँचाने की है। सड़कों का जाल बिछ गया है।

पूर्व मंत्री बिहार को पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत करते
चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल।

श्री आलोक कुमार, अध्यक्ष, FIA को पुष्पगुच्छ भेंटकर
स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल।

डॉ० अविनाश गुप्ता, उपाध्यक्ष, BJANA को पुष्पगुच्छ भेंटकर
स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल।

FIA के चेयरमैन श्री रमेश पटेल को पुष्पगुच्छ भेंटकर
स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल।

BJANA के सचिव श्री संजीव सिंह को पुष्पगुच्छ भेंटकर
स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल।

BJANA के कोषाध्यक्ष श्री अनुराग कुमार को पुष्पगुच्छ भेंटकर
स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल।

FIA के उपाध्यक्ष श्री हिमांशु भाटिया को पुष्पगुच्छ भेंटकर
स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल।

FIA के पूर्व अध्यक्ष श्री अंकुर वैद्य को पुष्पगुच्छ भेंटकर
स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल।

माननीय उपमुख्यमंत्री, माननीय श्रम संसाधन मंत्री एवं पूर्व मंत्री, बिहार के साथ FIA, BJANA एवं BCCI पदाधिकारियों का एक ग्रुप फोटोग्राफ।

राज्य में बौद्ध, जैन और सिख धर्म का सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल है । अकेले बोध गया के हवाई अड्डे पर एक ही माह में 40 हजार लोग विदेशों से आए हैं ।

उन्होंने कहा कि बिहार फाउंडेशन बाहर जा बसे बिहारियों को जोड़ने की मुहिम चला रहा है। उन्होंने आह्वान किया कि अमेरिका में बसे बिहारी और भारतीय अपने बच्चों को भी यहाँ की संस्कृति से जोड़े रखें। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के साथ उन्होंने व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित करने का भी आह्वान किया।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए माननीय श्रम संसाधान मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि यह काबिले तारीफ है कि सात समन्दर पार जाकर भी पूरे विश्व में भारतीयों ने अपनी पहचान, अपनी योग्यता के बल पर प्राप्त की है, उन्होंने बिहार की संस्कृति और विरासत को सहेजकर रखा है। लगातार आने-जाने से सम्बन्ध और भी सुदृढ़ होगा।

श्री सिन्हा ने आगे कहा कि हम विदेश जाने वाले बिहारियों को भी प्रशिक्षित कर रहे हैं। अमेरिका में रह रहे उद्यमी या तकनीक के जानकर समय-समय पर बिहार आकर लोगों को प्रशिक्षण दें तो उनका कौशल और भी बढ़ सकता है।

इस अवसर पर FIA एवं BJANA के सदस्यों ने भी अपने विचार रखें और कहा कि आज हुए इस सम्बन्ध को आगे बढ़ाया जायेगा। आगे भी इस पर सक्रियता से हमलोग अपने वतन की खुशहाली पर विचार-विमर्श करेंगे।

कार्यक्रम में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने सभी आगत अतिथियों को स्वागत सहित मेमेन्टों एवं शॉल भेंटकर सम्मानित भी किया।

बैठक में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, FIA के अध्यक्ष श्री आलोक कुमार, श्री अंकुर वैद्य, सुजल पारिख, एण्डी भाटिया, रमेश पटेल, हिमांशु भाटिया एवं BJANA के उपाध्यक्ष डॉ० अविनाश गुप्ता, श्री संजीव सिंह एवं अनुराग कुमार के अतिरिक्त कई व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधि सहित चैम्बर सदस्य एवं मीडिया बन्धु काफी संख्या में उपस्थित थे। धन्यवाद ज्ञापन चैम्बर महामंत्री श्री अमित मुखर्जी ने किया।

पटना स्कूटर ट्रेडर्स एसोसियेशन की रजत जयंती समारोह का चैम्बर अध्यक्ष ने किया उद्घाटन

PSTA के रजत जयंती समारोह का दीप प्रज्ज्वलित कर उद्घाटन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल (मध्य में)। उनकी बाँयीं ओर PSTA के अध्यक्ष श्री हनुमान सहाय गोयल, दाँयीं ओर पूर्व अध्यक्ष श्री रमेश कुमार मोदी एवं अन्य।

पटना स्कूटर ट्रेडर्स एसोसियेशन की दिनांक 26 जनवरी, 2019 को रजत जयंती समारोह चैम्बर के सभागार में आयोजित हुआ। रजत जयंती समारोह का उद्घाटन चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया।

समारोह के अवसर पर पटना स्कूटर ट्रेडर्स एसोसियेशन के सदस्यों द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। सम्मान-पत्र चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल एवं एसोसियेशन के अध्यक्ष श्री हनुमान सहाय गोयल के द्वारा प्रदान किया गया।

समारोह को संबोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल।

समारोह में स्मारिका का विमोचन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल एवं पटना स्कूटर ट्रेडर्स एसोसिएशन के पदाधिकारीगण।

स्वागत सम्बोधन में एसोसियेशन के अध्यक्ष श्री हनुमान सहाय गोयल ने एसोसियेशन 25 वर्षों की उपलब्धियों एवं उत्कृष्ट कार्यों की जानकारी दी।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने अपने सम्बोधन में कहा कि पटना स्कूटर ट्रेडर्स एसोसियेशन (PSTA) अपने स्थापना काल से ही अपने व्यवसायियों की प्रगति एवं हितार्थ काफी संघर्षशील रहा है। PSTA द्वारा इन 25 वर्षों के दरम्यान काफी सराहनीय एवं अनुकरणीय कार्य किये गये हैं। आज यह संस्था एक प्रतिष्ठित संस्था का रूप ले चुका है। PSTA चैम्बर का सदस्य भी है। PSTA आगे आने वाले वर्षों में और भी कीर्तिमान स्थापित करे, यह मेरी मनोकामना है। PSTA के सारे पदाधिकारियों एवं सदस्यों को उन्होंने रजत जयंती पर बधाई दी।

चैम्बर द्वारा माननीय वित मंत्री, बिहार को आगामी बजट हेतु विस्तृत ज्ञापन समर्पित

वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट हेतु आहुत बैठक में व्यवसायिक संगठनों का सुझाव सुनते माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी। साथ में विभागीय अधिकारीगण।

दिनांक 28 जनवरी 2019 को मुख्य सचिवालय के सभाकक्ष में माननीय वित्त मंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट हेतु आहुत बैठक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से माननीय वित मंत्री को एक विस्तृत ज्ञापन समर्पित किया गया। प्रतिनिधिमंडल में कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, संयोजक श्री सुभाष कुमार पटवारी, श्री राजेश खेतान, श्री आलोक पोद्दार, श्री मनोज आनन्द, श्री राजीव अग्रवाल एवं श्री सुनील सराफ शामिल थे।

चैम्बर की ओर से बैठक में निम्नांकित सुझाव समर्पित किये गये :-

- वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में उद्योग विभाग को पूर्व में आवंटित राशि में समुचित वृद्धि करते हुए 2000 करोड़ रूपये का प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि उद्योग विभाग द्वारा दी जाने वाली सबसीडी एवं दावों का निपटारा ससमय किया जा सके।
- 100 करोड़ रूपये की राशि से बजट में औद्योगिक विकास निधि के गठन का प्रावधान किया जाना चाहिए।
- राज्य में ऋण-जमा अनुपात को राष्ट्रीय औसत पर लाने के लिए राज्य में अवस्थित बैंकों को ऋण प्रवाह बढ़ाने हेतु दबाव बनाया जाना चाहिए।
- राज्य में उद्योगों के लिए जमीन की कमी को ध्यान में रखते हुए भूमि बैंक की स्थापना किया जाए, अधिकाधिक इंडस्ट्रियल एरिया की स्थापना की जाए, राज्य सरकार द्वारा जगह-जगह पर इलाकों को चिन्हित कर इसकी घोषणा की जानी चाहिए कि यह जमीन केवल औद्योगिक उपयोग के लिए ही होगा जिससे कि प्रमोटर एवं जमीन मालिक आपसी समझौता से जमीन को औद्योगिक उपयोग के लिए सहजता से खरीद सकें।
- सूचना प्रावैधिकी को स्वतंत्र उद्योग का दर्जा दिया जाना चाहिए और वर्ष 2019-20 के बजट में कम से कम 500 करोड़ का प्रावधान किया जाना चाहिए, 100 करोड़ से अधिक के निविदा में किसी भी राज्य के बाहर अवस्थित कंपनियाँ /संस्था को दिए जाने वाले आवंटन के साथ यह शर्त्त रखी जाए कि वो अपने संस्थान का एक सहयोगी शाखा बिहार में रखें जिससे कि राज्य के स्थानीय युवाओं को रोजागर मिल सके एवं राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले हर निविदा का 30 प्रतिशत हिस्सा बिहार में अवस्थित स्थनीय आई.टी. से जुड़े संस्थाओं को दिया जाए जिससे कि आई.टी. के स्थानीय उद्यम का विकास हो और रोजगार का अवसर बढ़े।
- बिहार के सीमांचल जिलों में बड़े पैमाने पर चाय की खेती हो रही है। इसलिए चाय उद्योग के लिए अलग से औद्योगिक प्रोत्साहन नीति बनायी जानी चाहिए।
- हमारे राज्य में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म के श्रद्धालुओं की रूचि को देखते हुए पर्यटन को बढ़ावा देने की नितान्त आवश्यकता है और सरकार

वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट हेतु आहूत बैठक में सम्मिलित चैम्बर प्रतिनिधिमंडल एवं अन्य।

को इस दिशा में विशेष प्रयास करना चाहिए। इस हेतु सरकार को बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम को पर्याप्त राशि उपलब्ध करानी चाहिए, जिसके लिए बजट में प्रावधान किया जाना चाहिए।

- सरकार को राज्य में अवस्थित सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु एवं उन्हें राष्ट्रीय स्तर के उद्योगों से प्रतिस्पर्धा में सक्षम बनाने के उद्देश्य से नीति निर्धारण करने एवं उसका कार्यान्वयन करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में हमारा सुझाव है कि निविदा प्रपत्र के शुल्क को फ्री किया जाये, बयाना राशि जमा करने की वाध्यता से मुक्त किया जाये, सिक्युरिटी डिपोजिट की राशि जमा करने की वाध्यता समाप्त की जाये, निम्नतम कोट रेट पर राज्य में अवस्थित उद्योगों को 15 प्रतिशत का सहुलियत दिया जाये एवं केन्द्राधीन पब्लिक सेक्टर इन्टरप्राईजेज की तर्ज पर राज्यान्तर्गत खरीद पर 25 प्रतिशत की खरीद स्थानीय राज्य में अवस्थित उद्योगों से किया जाना चाहिए।
- बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006-2011 के अन्तर्गत उद्योगों को वैट प्रतिपूर्ति दिए जाने का प्रावधान है लेकिन 1 जुलाई 2017 से देश भर में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू होने के पश्चात् जीएसटी की प्रतिपूर्ति का अभी तक कोई फार्मूला नहीं बनने से यहाँ के उद्योग इस लाभ से वंचित हैं अत: अविलम्ब मध्य प्रदेश की भाँति कोई फार्मूला बनाया जाना चाहिए।
- बिहार फाइनेन्स एक्ट एवं वैट के पुराने लंबित मामलों के निपटारे हेतु एक मुश्त समझौता योजना लाया जाना चाहिए।
- प्रोफेशनल टैक्स के ऑन लाईन भुगतान की व्यवस्था नही होने की वजह से करदाता को उसके भुगतान में काफी परेशानी उठानी पड़ती है। अत: प्रोफेशनल टैक्स के भुगतान की ऑन लाईन सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।
- अन्य उपभोक्ताओं के भाँति उद्योगों के लिए भी बिजली में सबसीडी का प्रावधान किया जाना चाहिए, राज्य में उद्योगों के विकास के लिए बिजली की दर पड़ोसी राज्यों यथा झारखंड एवं पश्चिम बंगल के तुलनात्मक बनाया जाना चाहिए क्योंकि झारखंड एवं पश्चिम बंगल में बिजली की दर कम होने से वहाँ से उत्पादित होकर वस्तुएँ काफी मात्रा में बिहार में आ रही है जिससे सरकार का राजस्व प्रभावित हो रहा है।
- विगत वर्षों में सर्किल रेट में कई-कई बार बढ़ोतरी होने के कारण ऐसा देखा जा रहा है कि अधिकांशत: किसी भी अंचल में निर्मित संपत्ति के निबंधन हेतु मुल्याकंन रकम उसके वास्तविक क्रय रकम से अधिक हो जाती है जिसका प्रतिकूल प्रभाव क्रेता को आयकर नियमों के तहत भी झेलना पड़ता है। हमारा सुझाव होगा कि भूमि पर क्रेता को proportionate share का अधिकार रखते हुए भूमि की लागत को मुल्यांकन रकम में अलग से नही जोड़ा जाना चाहिए।
- बिहार में पड़ोसी राज्य की अपेक्षा पथ कर अधिक होने की वजह से बहुत बार क्रेता (विशेष कर महंगे वाहन के लिए) अपना वाहन दूसरे राज्य से खरीद लेते हैं। परिणामस्वरूप हमारे राज्य को उस बिक्री पर मिलने वाली एसजीएसटी की रकम प्राप्त नही होती है साथ ही साथ जब वो वाहन हमारे ही राज्य में अवस्थित सर्विस केन्द्र पर सर्विस सुविधा लेता है तो उस पर मिलने वाली जीएसटी की राशि हमारे राज्य को प्राप्त नही होती है क्योंकि वाहन दूसरे राज्य के पते पर निर्बंधित होता है। अत: हमारा सुझाव होगा कि इसका उचित समाधान निकाला जाना चाहिए जिससे कि राज्य की आय जो दूसरे राज्य को जा रही है उसे रोका जा सके।

क्या है 'ओवरड्राफ्ट'?

ओवरड्राफ्ट एक प्रकार की कर्ज की सुविधा है जो बचत, चालू खाते और फिक्स्ड डिपोजिट होने पर उपलब्ध होती है।

सरकार ने हाल में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 'ओवरड्राफ्ट' की सीमा पाँच हजार रुपये से बढ़ाकर दस हजार रुपये करने का फैसला किया। ओवरड्राफ्ट क्या है? बैंकिंग जगत में इसका किस तरह उपयोग होता है? 'जागरण पाठशाला' के इस अंक में हम यही समझने का प्रयास करेंगे।

'ओवरड्राफ्ट' बैंकिंग जगत में प्रचलित शब्दावली है। जब कोई व्यक्ति उसके बैंक खाते में जमाराशि से अधिक धनराशि निकालता है और खाते में बेलेंस शून्य से नीचे चला जाता है तो उसे 'ओवरड्राफ्ट' कहते हैं। यह एक प्रकार की कर्ज की सुविधा है जो बचत खाते, चालू खाते और फिक्स्ड डिपोजिट होने पर उपलब्ध होती है। इसका इस्तेमाल कर ग्राहक या कारोबारी अचानक जरूरत पड़ने पर कुछ समय के लिए बैंक से उधार ले सकता है। हालांकि वह एक निर्धारित सीमा तक ही उधार ले सकता है। इस सीमा को 'ओवरड्राफ्ट लिमिट' कहा जाता है। बैंक उस ग्राहक की साख और उसके क्रेडिट स्कोर यानी खाते में लेन-देन के रिकार्ड को देखकर यह सीमा तय करता है। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजन के तहत दस हजार रुपये के ओवरड्राफ्ट की सुविधा है। हालांकि यह सुविधा एक परिवार के सिर्फ एक ही सदस्य, खासकर महिला को उपलब्ध होती है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी परिवार के एक से अधिक सदस्यों का जन धन खाता है तो ओवरड्राफ्ट की सुविधा सिर्फ एक ही खाते पर मिलेगी। इस योजना के तहत दो हजार रुपये तक के ओवरड्राफ्ट के लिए कोई शर्त नहीं रखी गई है। यह योजना 18 से 65 वर्ष तक की उम्र के खाताधारकों के लिए उपलब्ध है। **(साभार : दैनिक जागरण, 14.1.2019)**

व्यापारियों से मिले गृह सचिव व डीजीपी

गृह सचिव आमिर सुबहानी और पुलिस महानिदेशक के. एस. द्विवेदी ने औद्योगिक और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की । इसमें बिहार चेंबर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, सीआईआई, कैट, बिहार कैमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन, बिल्डिर्स एसोसिएशन आफ इंडिया आदि औद्योगिक संगठनों ने बिहार औद्योगिक सुरक्षा बल का शीघ्र गठन करने, औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्रों में टीओपी या पेट्रोलिंग कराने की मांग रखी। बॉडीगार्ड लेने में असमर्थ कारोबारियों को शस्त्र लाइसेंस देने तथा व्यापारी, कारोबारियों के मामले में स्पीडी ट्रायल चलाने की मांग रखी। बिहार चेंबर्स आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष पी. के अग्रवाल ने बताया कि सहमति बनी है कि हर हो माह में थाना से लेकर राज्य मुख्यालय स्तर पर पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक होगी। **(प्रभात खबर, 25.1.2019)**

23 वस्तुएँ और सेवाएँ हुईं सस्ती

सरकार ने आम जनता को नए साल का तोहफा देते हुए पहली जनवरी से 23 वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी घटा दिया है। इस सिलसिले में अधिसूचना जारी कर दी गई। इनमें टीवी, छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चार्ज करने वाले पावर बैंक, टायर और सिनेमा टिकट जैसी चीजें शामिल हैं। इनके अलावा मॉनीटर और 32 इंच तक के टीवी, रीट्रेडेड टायर, पावर बैंक, डिजिटल कैमरा, वीडियो कैमरा, वीडियो गेम, दिव्यागों को ले जाने वाले वाहनों के कलपुर्जे और एसेसरीज, प्राकृतिक कॉर्क, वॉकिंग स्टिक, फ्लाई एश ब्लॉक आदि के लिए

उपभोक्ताओं को कम दाम देने होंगे। जीएसटी परिषद ने अपनी पिछली बैठक में इन वस्तुओं एवं सेवाओं पर 28 फीसद की दर को कम कर दिया था।

कुछ वस्तुओं पर इसे घटाकर 18 फीसद किया गया है, जबकि कुछ सेवाओं पर 18 फीसद की दर को कम कर 12 फीसद किया गया है। जीएसटी की 28 फीसद की सबसे ऊंची दर अब कुछ लक्जरी वस्तुओं, अहितकर सामान, सीमेंट, बड़े टीवी स्क्रीन और एयरकंडीशनरों पर ही रह गई है।

इन पर जीएसटी नहीं लगेगा : 1. संगीत की किताबों, बिना पके या भाप अथवा उबालकर पकाई गई सब्जियों, फ्रोजेन और ब्रांडेड सब्जियों के लिए जीएसटी नहीं देना होगा। (2) प्रसंस्करण की ऐसी अवस्था वाली सब्जियां, जो उस रूप में उपभोग लायक नहीं हो, पर भी अब जीएसटी नहीं लगेगा। (3) जन -धन योजना के तहत खुले आधारभूत बचत खाता धारकों को अब बैंकिंग सेवाओं के लिए जीएसटी नहीं देना होगा।

सिनेमा के टिकट हुए सस्ते : सौ रुपये तक के सिनेमा टिकटों पर अब 18 फीसद के बजाय 12 फीसद जीएसटी लगेगा। सौ रुपये से अधिक वाले सिनेमा टिकटों पर अब 28 फीसद की जगह 18 फीसद जीएसटी लगेगा।

(साभार : दैनिक जागरण, 1.1.2019)

नये साल में लागू होंगे नये नियम, आप पर होगा सीधा असर

2019 का नया साल दिनांक 1.1.2019 को शुरू हो रहा है। 31 दिसम्बर तक जिन लोगों ने अपने काम नहीं निबटाये है, उनकी जेब पर आज से असर पड़ेगा। नये साल में प्रमुख कंपनियों की कारें महंगी होने जा रही हैं।

(1) देरी से रिटर्न भरने पर देना होगा 10,000 तक जुर्माना (2) 40,000 रुपये तक महंगी हो जायेंगी कारें (3) पुराने क्रेडिट और डेबिट कार्ड नहीं चलेंगे (4) नॉन-सीटीएस चेक बुक नहीं भुनाये जा सकेंगे (5) एसबीआइ लोन पर लगेगी प्रोसेसिंग फीस।

(विस्तृत : प्रभात खबर,

इस साल 12 प्रतिशत रहेगी बिहार की विकास दर

11 फरवरी से शुरू होने वाले विधानमंडल के सत्र में पेश होगा बजट और आर्थिक सर्वेक्षण

बेहतर वित्तीय प्रबंधन से चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य की विकास दर करीब 12 फीसदी रहने का अनुमान है। बिहार इस बार भी रेवेन्यू सरप्लस वाला राज्य बना रहेगा। पिछले पाँच वित्तीय वर्षों के दौरान राज्य की विकास दर औसतन 11 प्रतिशत के आसपास ही रही है। दो अंकों की विकास दर की यह रफ्तार इस बार भी बनी रहेगी। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान यह करीब 10.5 प्रतिशत रही। दो अंकों की विकास दर बरकरार रहने के पीछे मुख्य कारण पब्लिक सेक्टर में निवेश, सर्विस सेक्टर समेत अन्य क्षेत्रों में विकास बना रहना है। सबसे अधिक बढ़ोतरी टर्सियरी सेक्टर में दर्ज की गयी है। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के पहले दिन सरकार आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेगी। इसमें विकास दर 12 प्रतिशत के करीब होने का उल्लेख होगा।

इस बार सबसे ज्यादा तृतीयक सेक्टर में 14.57 प्रतिशत विकास दर रहने का अनुमान है। जबकि प्राथमिक सेक्टर में 1.42 प्रतिशत और द्वितीयक सेक्टर में 2.52 प्रतिशत विकास दर का अनुमान है। टर्सियरी सेक्टर में ग्रोथ सबसे ज्यादा होने का मुख्य कारण सरकारी और निजी सेक्टर में बड़ी संख्या में नौकरियाँ होना है।

(विस्तृत : प्रभात खबर, 25.1.2019)

प्रत्यक्ष कर-जीडीपी अनुपात दशक में सबसे अच्छा

पिछले वित्त वर्ष 2017-18 में दर्ज किया गया 5.98 फीसद का प्रत्यक्ष कर-जीडीपी अनुपात गत 10 साल में सबसे अच्छा है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि 2016-17 में यह 5.57 फीसद था और 2015-16 में यह 5.47 फीसद था। नोटबंदी का एक प्रमुख उद्देश्य था भारत को टैक्स नहीं जमा करने वाले समाज से टैक्स जमा करने वाले समाज में बदलना और नोटबंदी का असर व्यक्तिगत आयकर की वसूली पर महसूस किया जा रहा है।

वित्त मंत्रालय ने 2018 की अपनी समीक्षा में कहा कि गत तीन साल में प्रत्यक्ष कर-जीडीपी अनुपात में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और 2017-18 का 5.98 फीसद अनुपात गत 10 साल का सबसे अच्छा प्रत्यक्ष कर-जीडीपी अनुपात है। गत चार साल में रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 80 फीसद बढ़ी है। यह 2013-14 में 3.79 करोड़ थी, जो 2017-18 में बढ़कर 6.85 करोड़ हो गई। मंत्रालय ने कहा कि पिछले तीन असेसमेंट वर्ष में सभी श्रेणी के करदाताओं द्वारा दाखिल रिटर्न में घोषित कुल आय में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है।

ऊंची विकास दर के ट्रैक पर देश की अर्थव्यवस्था : वित्त मंत्रालय ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान और आगामी वित्त वर्ष में सबसे तेज विकास दर वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बनने के ट्रेक पर है और सरकार ने निवेशकों में विश्वास बहाल करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक कारोबारी सुगमता के मामले में भारत की रैंकिंग 2018 में सुधर कर 77वें पर आ गई है। इस सिलसिले में मंत्रालय ने वर्षांत समीक्षा 2018 में कहा कि 2014-15 और 2017-18 के बीच भारत की औसत विकास दर 7.3 फीसद रही, जो दुनियाभर की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच सर्वाधिक विकास दर है।

(साभार : दैनिक जागरण, 3.1.2019)

एमएसएमई पर सुझाव को समिति गठित

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने एसएमई सेक्टर के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की। इस समिति का काम सूक्ष्म, लधु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) की आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के लिए दीर्घकालिक समाधान पर सुझाव देना है। सेबी के पूर्व प्रमुख यूके सिन्हा इस समिति के प्रमुख होंगे। आरबीआइ के मुताबिक आठ सदस्यीय यह समिति उन कारकों पर भी गौर करेगी, जो एमएसएमई सेक्टर को समय पर और समुचित कर्ज की उपलब्धता को प्रभावित करते हैं। समिति इस वर्ष जून के अंत तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। समिति से एमएसएमई सेक्टर को मदद पहुँचाने वाले वर्तमान संस्थागत ढांचे की समीक्षा करने को कहा गया है।

(साभार : दैनिक जागरण, 3.

पुराने जीएसटी रिटर्न भरने पर नहीं लगेगा जुर्माना

जीएसटी में पंजीकृत जिन कारोबारियों ने जुलाई 2017 से सितम्बर 2018 तक जीएसटीआर-3 बी (समरी सेल्स रिटर्न), जीएसटीआर-1 (अंतिम सेल्स रिटर्न) और जीएसटीआर-4 (कंपोजिशन स्कीम के लिए तिमाही रिटर्न) रिटर्न दाखिल नहीं किए हैं, उनके लिए सरकार ने जुर्माना माफ कर दिया। केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने हालांकि अपनी अधिसूचना में कहा कि ऐसे कारोबारियों को 15 महीने के रिटर्न 31 मार्च 2019 तक जमा करने होंगे। सीबीआइसी ने 31 दिसम्बर 2018 को नए सलाना जीएसटी रटिर्न फॉर्म्स (जीएसटीआर-9, जीएसटीआर- 9ए और जीएसटीआर-9सी) भी अधिसूचित कर दिए। कारोबारियों को ये फॉर्म 30 जून 2019 तक दाखिल करने हैं। जीएसटीआर-9 साधारण करदाताओं के लिए सालाना रिटर्न फॉर्म है। जीएसटीआर- 9ए कंपोजिशन स्कीम वाले करदाताओं के लिए है और जीएसटीआर- 9 सी रिकॉसिलिएशन स्टेटमेंट है। **(दैनिक जागरण, 2.1.2019)**

स्टार्ट-अप को एंजल टैक्स से राहत देने को हरकत में सरकार

एंजल टैक्स की मार के चलते डूबने के कगार पर पहुँचे सैकड़ों 'स्टार्ट-अप' को राहत देने के लिए सरकार हरकत में आ गयी है। औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (डीआइपीपी) ने इस दिशा में कदम उठाते हुए 04 फरवरी को संबंधित पक्षों की बैठक बुलाई है। इसमें स्टार्ट-अप सेक्टर के प्रतिनिधियों और डीआइपीपी के शीर्ष अधिकारियों के अलावा वित्त मंत्रालय के बड़े अधिकारी भी शामिल होंगे।

सूत्रों ने कहा कि बैठक में उन नए उपायों पर चर्चा होगी जिसके जरिए स्टार्ट-अप को इस टैक्स से छूट दी जा सके। बैठक में स्टार्ट-अप के साथ-साथ एंजल इन्वेस्टर्स को भी आमंत्रित किया गया है। इसमें एंजल टैक्स के मुद्दे को हल करने के लिए अब तक उठाए गए कदमों और संस्थागत तौर पर इसे हल करने के तंत्र पर भी विचार किया जाएगा। देश में लगभग 39,000 स्टार्ट अप हैं जिसमें से 15,417 'स्टार्ट-अप' डीआइपीपी से मान्यता प्राप्त हैं। चौंकाने वाली

बात यह है कि तीन साल पहले स्टार्ट-अप इंडिया योजना शुरू होने के बावजूद नवम्बर, 2018 तक सरकार मात्र 91 स्टार्ट-अप को ही टैक्स छूट का लाभ देने के लिए मान्यता प्रदान कर पाई है। नतीजा यह हुआ है कि आयकर विभाग ने बड़ी संख्या में 'स्टार्ट-अप' को 30 प्रतिशत एंजल टैक्स के नोटिस थमाकर इस साल 31 मार्च तक भारी भरकम टैक्स जमा करने का आदेश दिया है। टैक्स का नोटिस पाने के बाद बड़ी संख्या में स्टार्ट-अप परेशान हैं और इनमें से कई डूबने के कगार पर हैं। एंजल टैक्स से परेशान स्टार्ट-अप की समस्या को उठा रहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोकल सर्किल्स के चेयरमैन सचिन तापड़िया ने दैनिक जागरण से कहा कि सरकार को डीआइपीपी से मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप को एंजल टैक्स से पूरी तरह छूट देने के लिए ऐसा तंत्र बनाना चाहिए जिसमें स्टार्ट-अप से पाँच दस्तावेज लेकर उन्हें टैक्स से छूट दे दी जाए।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 25.1.2019)

WELCOME MOVE FOR GST APPELLATE BODY

The government's decision to create a National Goods and Services Tax Appellate Tribunal to adjudicate disputes is welcome. It will help in faster resolution and also bring uniformity in the redressal of GST disputes. Reportedly, the tribunal will act as a forum for second appeal and decide cases where there are divergent orders by the authority for advance rulings at the state level. This Will reduce the burden on high courts that have a huge pendency of cases. The tribunal, which will mainly adjudicate disputes relating to the so-called place-of-supply rules, will be akin to CESTAT that was created to hear appeals against orders passed by Commissioners of Customs, Excise and Service Tax.

The plan is also to set up three regional benches. The need is to appoint competent judges and have intelligent IT infrastructure to deal with cases that are referred to the tribunal. Today, the facility of advance rulings for GST allows taxpayers to know their dues in advance and helps reduce litigation. However, problems have surfaced due to conflict between rulings by different state authorities. Rightly, industry has been demanding the creation of a centralised authority for advance ruling. And the GST Council has seen merit in this demand. So, amendments needed to the GST Act should be done swiftly to remove any tax uncertainty for businesses. Appeals against contradictory rulings by the Authority for Advance Rulings should be disposed of quickly.

Strengthening the dispute resolution mechanism is a must. At the same time, the GST Council Should make the tax regime and rules simple for their transparent, consistent interpretation. Fewer and lower rates will minimise classification disputes, reduce the burden on the judiciary and boost GST collections, as well as direct tax collections. once GST data is mined. **(Economic Time, 25.1.2019)**

सुरक्षा के साथ नीति में बदलाव का मिलेगा उद्योगों को तोहफा

नए साल में राज्य के उद्योग जगत के लिए कुछ खास होने की उम्मीद है। इस वर्ष जहाँ औद्योगिक नीति- 2016 की मध्यावधि समीक्षा होगी। वहीं कुछ बदलाव भी किए जा सकते हैं। व्यापारियों की सुरक्षा के लिए राज्य स्तर पर औद्योगिक सुरक्षा बल के गठन की प्रक्रिया भी इसी साल प्रस्तावित है। वहीं, राज्य में उद्योग जगत के सामने सबसे बड़ा संकट जमीन की किल्लत का है। चीनी मिलों की 2265 एकड़ जमीन उद्योग विभाग को मिलने के बाद यह दिक्कत भी कुछ हद तक दूर होगी। राज्य में औद्योगिक निवेश बढ़ाने को तमाम कवायद चल रही है मगर जमीन की उपलब्धता न होने से यह आगे नहीं बढ़ पा रहा। अकेली आईटीसी कंपनी ही जमीन मिलते ही। 1250 करोड़ का निवेश तत्काल करने को तैयार है।

आएगा निवेश : • औधोगिक सुरक्षा बल के गठन की प्रक्रिया है प्रस्तावित • चीनी मिलों की 2265 एकड़ भूमि मिलने पर होगी सहूलियत • 1250 करोड़ का निवेश तत्काल करने को तैयार है

खादी की ब्रांडिंग के लिए रेमंड्स से हुआ है करार : बिहार खादी की ब्रांडिग और उसे बाजार के अनुरूप बनाने के लिए उद्योग विभाग ने रेमंड्स के साथ करार किया है। वहीं, कोच्चि में पीपीपी मॉडल पर बिहार खादी का एंपोरियम खोलने के लिए भी करार हुआ है। बियाडा एक्ट में बदलाव तो गत वर्ष हुआ, किंतु नोटीफिकेशन के बाद अमल में इसी साल आया।

तीन निगम उद्यमियों को लोन दे सकती है : इस साल उद्यमियों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। उद्योग विभाग के तीन निगमों राज्य साख व विनियोग निगम (बिसिको), बिहार स्टेट इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (बीएसआई-डीसी), बिहार स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन (बीएसएफसी) फिर से उद्यमियों को लोन देने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है।

2018 में उद्यमी बने सैकड़ों एससी-एसटी युवा : वर्ष 2018 राज्य के अनुसूचित जाति-जनजाति के युवाओं के लिए खास रहा। मुख्यमंत्री एससी-एसटी उद्यमी योजना के तहत सरकार ने इनके लिए 10 लाख रुपये लोन की व्यवस्था की जिसमें से पाँच लाख अनुदान है। बाकी पाँच लाख भी बिना ब्याज के सात साल में लौटाना है। इस साल 400 से अधिक लोगों का लोन स्वीकृत हुआ है।

उद्योग जगत नई ऊँचाइयों को छुएगा : पटना के उद्योग जगत के लिए वर्ष 2019 बहुत खास होने वाला है। उद्यमियों को ढेरों अवसर मिलेंगे। बिहटा में तीन बड़ी औद्योगिक इकाइयां लगेंगी। पटना जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक उमेश कुमार बताते हैं कि नए साल में उद्योग जगत नई ऊंचाइयों को छुएगा। विभाग की से 500 करोड़ रुपए का विशेष फंड जेनरेट किया जा रहा है। इस फंड से लघु उद्यमियों को आर्थिक मदद की जाएगी। बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम की ओर से फंड के जरिए राज्य में लघु उद्योगों की स्थापना की पहल की जाएगी। मुख्यमंत्री एससी एसटी उद्यमी योजना की और तेज करते हुए अधिक से अधिक उद्यमियों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। युवाओं को कौशल विकास की ट्रेनिंग एमएसएमई समते अन्य संस्थानों की मदद से चलाई जाएगी। पटना में सरस मेला समेत अन्य जिलों में मेला के आयोजन से व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। **(साभार : हिन्दुस्तान, 3.1.2019)**

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

श्रोत पर GST की कटौती करने वाले सभी उत्तरदायी पदाधिकारियों / व्यक्तियों के लिए आवश्यक सूचना।

निबंधन नहीं लिये जाने अथवा कटोती नहीं करने पर लगेगा पेनाल्टी एवं सूद।

GST के अंतर्गत किसी भी संवेदक अथवा आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने के समय श्रोत पर कटौती से संबंधित प्रावधान GST अधिनियम की धारा 51 को दिनांक 01.10.2018 से लागू कर दिया गया है। इस हेतु उत्तरदायी पदाधिकारी / व्यक्ति को धारा-51 सहपठित धारा-2 (69) एवं अधिसूचना संख्या-33/2017 दिनांक 15.09.2017 में उल्लेख किया गया है। इसकी सूची विभागीय वेबसाईट पर भी उपलब्ध है।

2. प्राप्त सूचना के अनुसार अभी तक बड़ी संख्या में ऐसे पदाधिकारियों / व्यक्तियों द्वारा निबंधन नहीं लिया गया है। निबंधन नहीं लिये जाने पर या नियमानुसार कटौती नहीं किये जाने या उसे नहीं जमा करने पर उत्तरदायी पदाधिकारियों / व्यक्तियों के विरुद्ध शास्ति (Penalty) तथा सूद लगाने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 122 के अधीन शास्ति (Penalty), जो रु. 10,000/- अथवा कटौती की जानेवाली कर की राशि में से जो भी अधिक हो, अधिरोपित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कर की राशि पर धारा 51 (6) के अधीन सूद (Interest) भी लगाये जाने का प्रावधान है।

अनुरोध है कि जिन उत्तरदायी पदाधकारियों / व्यक्तियों ने अभी तक निबंधन प्राप्त नहीं किया है, वे अविलम्ब www.gst.gov.in पर लौग-इन कर अपना निबंधन करा लें।

सहायता के लिये विभाग द्वारा 24 x 7 हेल्पडेस्क कार्यरत है, जिसका नंबर 0612-2233512-16, मो०- 9472457846 एवं टॉल फ्री नंबर - 18003456102 है।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 25.1.2019) **आयुक्त-सह-सचिव**

बिहार : औद्योगिक नीति में बदलाव की तैयारी शुरू

बिहार सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति में बदलाव करने को फैसला लिया है। निवेशकों की बेरुखी को इस बदलाव के पीछे अहम कारण बताया जा रहा है। उद्यमियों को पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने का वादा भी खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। सूत्रों के मुताबिक उद्योग विभाग इस बारे में व्यापक समीक्षा की तैयारी कर रही है।

सूत्रों के मुताबिक इस बारे में आदेश मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ से आया है। उन्होंने कहा, 'सरकार को जितने निवेश की अपेक्षा थी, उतना पैसा नहीं आया है। इस वजह से इस क्षेत्र से राज्य सरकार को ज्यादा कर की कमाई भी नहीं हुई है। इसलिए मुख्यमंत्री ने इस नीति की व्यापक समीक्षा का आदेश दिया है। इस समीक्षा के बाद नीति में जरूरी फेरबदल भी किए जाएंगे।'

इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार औद्योगिक भूमि विकास प्राधिकार (बियाडा) से एक पारदर्शी भूमि हस्तांतरण नीति बनाने को कहा है। साथ ही, राज्य सरकार ने विभाग से बंद पड़ी सरकारी चीनी मिलों के अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए भी कहा है। राज्य में बीते दिनों उद्योगपतियों और उद्यमियों पर आपराधिक हमलों के मद्देनजर सरकार ने उन्हें पूरी सुरक्षा का वादा भी किया। (साभार : बिजनेस स्टैंडर्ड 2.1.2019)

बंद चीनी मिलों की जमीन पर लगेंगे उद्योग: उपमुख्यमंत्री

उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने उद्यमी पंचायत में कहा कि राज्य सरकार बंद पड़ी चीनी मिलों की 2200 एकड़ जमीन उद्योग लगाने के लिए उपलब्ध करायेगी। राज्य में जमीन की किल्लत के बावजूद बिहटा में 20 एकड़ से अधिक जमीन ब्रिटानिया कंपनी और 15 एकड़ जमीन प्रिया गोल्ड को उपलब्ध करायी गई है। (विस्तृत : हिन्दुस्तान, 1.1.2019)

औद्योगिक विकास निगम ऋण वसूली के लिए लाएगा ओटीएस

बिहार औद्योगिक विकास निगम (बीएसआईडीसी) ऋण वसूली के लिए विशेष योजना ला रहा है। बंद पड़ी औद्योगिक इकाई के लिए वन सेटलमेंट योजना लाने जा रहा है। निगम से ऋण लेने वाले उद्यमियों को इस योजना तहत राशि का भुगतान एकमुश्त करना होगा। दरअसल, सरकार ने बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निगम को फिर से सक्रिय करने का निर्णय लिया है। इसके लिए सरकार ने, निगम पर जो 72 करोड़ रुपए का ऋण है, उसे माफ करने का निर्णय लिया है। साथ ही 45 करोड़ रुपए भी सरकार निगम को देगी। इसके अतिरिक्त बीएसआईडीसी के पास बिहार और झारखंड में करीब 1500 करोड़ रुपए की संपत्ति है। (विस्तृत : दैनिक भास्कर, 3.1.2019)

दो सोलर प्लांट लगाने को मिली मंजूरी

कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि बांका के ककवारा में 10 और 15 मेगावाट के दो सोलर पावर प्लांट लगाये जायेंगे। निजी कंपनी इस पर 17888 लाख रुपये का निवेश करेगी। कैबिनेट की बैठक के बाद कैबिनेट सचिव संजय कुमार ने बताया कि एमसीएमई मगध सोलर पावर प्रालि, गुरुग्राम (हरियाणा) ककवारा में 10 मेगावाट का सोलर पीवी प्लांट की स्थापना के लिए 7155 लाख रुपये का निवेश करेगी। इसी तरह मे एसीएमई नालंदा सोलर पावर प्रालि गुरुग्राम (हरियाण) ककवारा में ही 15 मेगावाट का सोलर पीवी प्लांट की स्थापना करेगी। इसक लिए कंपनी 10733 लाख रुपये का निवेश करेगी। कैबिनेट ने दोनों प्रोजेक्टों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की मंजूरी दे दी है।

(साभार : प्रभात खबर, 3.1.2019)

उच्च तकनीक से प्रदूषण नियंत्रित करने वाले उद्योगों को मिलेगा अवार्ड

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद प्रदूषण पर नियंत्रण और उससे जुड़ी तकनीक को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रीन इंडस्ट्रीज अवार्ड बांटने जा रहा है। अवार्ड के लिए चार श्रेणियां (केटेगरी) तय की गयी हैं। आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। उद्योगों को इसके लिए 15 अप्रैल तक आवेदन करना है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक बिहार राज्य नियंत्रण परिषद उन उद्योगों को अवार्ड देगी, जिन्होंने अपने स्तर पर प्रदूषण कम करने में योगदान दिया हो साथ ही ऐसे उद्योगपति जिन्होंने पर्यावरण कानून के तहत प्रदूषण नियंत्रण के लिए कोई तकनीक या डिवाइस का प्रयोग किया है। बिहार सरकार प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में यह एक अभिनव प्रयोग कर रही है।

अवार्ड के लिए चार श्रेणियों के उद्योग ये हैं- 1. स्टोन मिलिंग, 2. बॉयल्ड राइस मिल्स, 3. ब्रिक, 4. डेयरी समेत शूगर मिल, थर्मल पावर प्लांट,

आवेदन की तारीख : ग्रीन इंडस्ट्रीज अवार्ड के लिए 15 अप्रैल तक आवेदन किये जा सकते हैं। इसके फॉर्म बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

(साभार : प्रभात खबर, 24.1.2019)

2025 तक सौर ऊर्जा से 3422 मेगावाट बिजली होगी उत्पादित

राज्य में पाँच वर्षों में तीन हजार मेगावाट से अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार हो रहे कार्य की बदौलत बिहार सर्वाधिक तेजी से बढ़ने वाले राज्यों में शामिल हो रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 तक बिहार में 3422 मेगावाट बिजली पैदा होगी। यह बताता है कि बिहार सौर ऊर्जा के सेक्टर में बड़ी ताकत बनने की ओर अग्रसर है। सौर ऊर्जा उत्पादन की गति लगातार और तेज होगी।

केन्द्र के अनुसार पाँच वर्षों में बिहार में 2493 मेगावाट अपारंपरिक ऊर्जा का उत्पादन होने लगेगा। इसमें 244 मेगावाअ बायोमास और 25 मेगावाट पनबिजली भी शामिल है। सिर्फ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 2022 मेगावाट बिजली पैदा होगी। महज छठे साल सौर ऊर्जा का उत्पादन पौने दो गुना बढ़ जाएगा और यह 2000 मेगावाट से लगभग 3500 मेगावाट के स्तर पर पहुँच जाएगा। सौर ऊर्जा में इसकी रफ्तार ऐसी ही रही तो अगले तीन वर्षों में यह झारखंड समेत तमाम इस्टर्न रिजन के राज्यों के साथ-साथ 16 राज्यों को पीछे छोड़ देगा।

वर्ष 2022 तक इन राज्यों से आगे होगा बिहार : हिमाचल प्रदेश, जम्मू -कश्मीर, उत्तराखंड, गोवा, छत्तीसगढ़, केरल, असम, मणिपुर, मेघालय, नगालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन दीव व पुडुचेरी।

कई परियोजनाओं पर चल रहा काम : बिहार ने पिछले दिनों सौर ऊर्जा को लेकर कई बेहतर कदम उठाए हैं। आधा दर्जन परियोजनाओं से बिजली पैदा हो रही है। इसके अलावा लगभग दो दर्जन से अधिक परियोजनाओं का निर्माण प्रस्तावित है। कई परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इस साल के अंत तक कई नई परियोजनाओं से भी बिजली पैदा होने लगेंगी। साथ ही सरकारी भवनों, रूफ टॉप बिजली से लेकर बेकार स्थानों पर सौर प्लेट लगाकर बिजली पैदा करने की योजना शामिल है। (साभार : दैनिक भास्कर, 22.1.2019)

तैयारी : छोटे कारोबारियों को कम ब्याज पर ऋण मिलेगा

देश भर के छोटे और मझोले कारोबारियों के लिए सरकार दो फीसदी सस्ता ब्याज पर लोन और मुफ्त बीमा जैसी सुविधाओं का एलान बजट में कर सकती है। इससे जुड़े दो सरकारी अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

सूत्रों के मुताबिक, छूट पाने के लिए वार्षिक कारोबार की अधिकतम सीमा 5 करोड़ रुपये तय की जाएगी। इसके साथ ही महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए भी एक विशेष नीति की घोषणा बजट में हो सकती है।

मुफ्त में दुर्घटना बीमा कवर का प्रस्ताव : सरकार छोटे कारोबारियों को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त दुर्घटना बीमा कवरेज देने की भी योजना बना रही है। इस बीमा योजना का खाका यूपी सरकार द्वारा प्रदेश के छोटे कारोबारियों के लिए चलाई जा रही योजना की तर्ज पर तैयार किया जा सकता है। हालांकि, इस योजना से सरकार के बजट पर कितना बोझ पड़ेगा इसकी जानकारी नहीं दी गई है।

महंगा मिलता है अभी लोन : अभी अच्छे साख वाले कारोबारी को बैंक 9 से 10 फीसदी सालाना ब्याज पर लोन मुहैया कराते हैं। वहीं कमजोर साख वाले कारोबारियों से 13 से 14 फीसदी की दर से ब्याज वसूलते हैं। एक रिपोर्ट

के मुताबिक, देश भर में करीब 7 करोड़ छोटे कारोबारियों में से सिर्फ 4 फीसदी ही बैंक से लोन ले पाते हैं।

जीएसटी से बढ़ी थी परेशानी : जीएसटी लागू होने का असर सबसे ज्यादा छोटे ट्रेडर्स और कारोबारियों पर हुआ था। इसको देखते हुए सरकार ने जीएसटी में कई बदलाव अब तक किए हैं। पिछले दिनों छोटे कारोबारियों को राहत देते हुए जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी में छूट की सीमा को बढ़ाकर सालाना 20 लाख से 40 लाख रुपये कर दिया।

पेंशन देने की भी योजना : सस्ते लोन और दुर्घटना बीमा के अलावे सरकार पंजीकृत सेवानिवृत्त कारोबारियों को पेंशन भी देने पर विचार कर रही है। इन कारोबारियों को वृद्धावस्था पेंशन की सुविधा भी मिल सकती है। ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड का गठन करने का भी प्रस्ताव है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 23.1.2019)**

निर्यातकों को 600 करोड़ की ब्याज सब्सिडी

सरकार ने वाणिज्यिक माल निर्यातकों को निर्यात ऋण पर तीन फीसद ब्याज सहायता देने का निर्णय किया है। यह फैसला 2.1.2019 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में किया गया।

सरकार के इस कदम से निर्यातकों के पास पूंजी उपलब्धता बेहतर होगी और निर्यात को प्रोत्साहन दिया जा सकेगा। आधिकारिक बयान के अनुसार, इस फैसले से निर्यातकों को ब्याज समानीकरण योजना का लाभ योजना की शेष अवधि के लिए मिलेगा और इससे उन्हें करीब 600 करोड़ रुपए का फायदा होगा।' इस संबंध में वाणिज्य विभाग के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। प्रस्ताव में वाणिज्यिक वस्तुओं के निर्यातकों को भी ब्याज समानीकरण योजना में शामिल करने को कहा गया। इसके तहत उन्हें योजना के दायरे में आने वाले 416 उत्पादों के निर्यात के वास्ते शिपमेंट से पहले और बाद में लिएजाने वाले रुपया निर्यात ऋण पर तीन प्रतिशत की दर से ब्याज समानीकरण सुविधा का लाभ देने को कहा गया।

इन उत्पादों का उत्पादन अमूमन लघु एवं मझोले उद्योग या ऐसे क्षेत्रों में होता है जहाँ श्रम की अधिक की जरूरत होती है। बयान के अनुसार योजना के तहत वाणिज्यिक निर्यातकों को शामिल करने से निर्यात क्षेत्र अधिक प्रतिस्पर्धी बनने की उम्मीद है। इससे निर्यातक एमएसएमई क्षेत्र में बने उत्पादों को अधिक निर्यात करने को प्रोत्साहित होंगे। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु समय पर निर्यात ऋण में गिरावट का मुद्दा उठाते रहे हैं। **(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 3.1.2019)**

पॉलीथिन बैग पर जारी रहेगा प्रतिबंध : हाईकोर्ट

बिहार में पॉलीथिन बैग के उपयोग पर लगे प्रतिबंध को चुनौती देने वाली दायर याचिका को खारिज करते हुए पटना हाईकोर्ट ने सरकार के निर्णय पर मुहर लगा दी है।

न्यायाधीश ज्योति शरण की खंडपीठ ने एक आदेश में कहा कि सरकार की ओर से पॉलीथिन पर लगाया गया प्रतिबंध प्रदूषण को देखते हुए सही है। कोर्ट के इस निर्णय के बाद राज्य में 50 माइक्रोन से कम मोटाई के पॉलीथिन बैग के निर्माण और उपयोग पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

मालूम हो कि इस याचिका पर सुनवाई 10 जनवरी को हुई थी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था जिसे सुनाया गया। संगीता प्लास्टिक व अन्य की ओर से राज्य सरकार के पॉलीथिन बैग पर पूरी तरह रोक लगाने के निर्णय को चुनौती दी गई थी। याचिका दायर करने वालों को ओर से कोर्ट को अवगत कराया गया था कि राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के नियमों के अनुरूप पॉलीथिन पर प्रतिबंध का फैसला नहीं किया है। इस नियम में संशोधन की जरूरत है। केन्द्र सरकार के प्रावधानों में 50 माइक्रोन से अधिक मोटाई के पॉलीथिन के निर्माण और उपयोग की अनुमति दी गई है।

इसी आलोक में पॉलिथीन पर प्रतिबंध के राज्य सरकार के निर्णय को चुनौती दी गई थी। जबकि राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि बिहार से पहले भी कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में पॉलीथिन पर प्रतिबंध लग चुका है। **(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 25.1.2019)**

पटना में खुलेगा विदेश मंत्रालय का कार्यालय

आने वाले दिनों में बिहार से विदेश जाकर रोजगार करने वालों को मेडिकल सर्टिफिकेट और अन्य दस्तावेजों की जाँच-पड़ताल पटना में ही कराने की सुविधा मिल जाएगी। श्रम संसाधन विभाग ने विदेश मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वह पटना में बिहार से दूसरे देश जाने वालों की सुविधा के लिए यहाँ विदेश भवन कार्यालय खोले।

मंत्री ने कहा कि इस मसले पर जल्द ही विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। वहीं खाड़ी देशों में जाने वाले कामगारों को मेडिकल सर्टिफिकेट लेने के लिए अभी कोलकाता या लखनऊ जाना पड़ता है। गल्फ कॉरपोरेशन ऑफ कंट्रीज एसोसिएशन (जीएएमसीएन) ने पटना में केन्द्र खोलने पर सहमति जताई है। विदेश जाने से पहले समुद्र पार नियोजन ब्यूरो को पूरी जानकारी देने वाले युवकों को चिकित्सा बीमा कराया जाएगा। नियोजन एवं प्रशिक्षण निदेशक धर्मेन्द्र सिंह, उप निदेशक मनोज शर्मा आदि मौजूद थे।

विदेश भवन होगा नाम : • समुद्र पार नियोजन ब्यूरो की चौथी बैठक में श्रम मंत्री विजय सिन्हा ने की पहल • कार्यालय स्थापित करने के लिए गर्दनीबाग में 1.46 एकड़ जमीन चिह्नित की गई • 4 लाख से अधिक बिहारी 2012 के बाद गए हैं विदेश • 42 हजार से अधिक केवल 2018 में विदेश गए कामगार।

युवाओं का उन्मुखीकरण किया जा रहा : मंत्री ने कहा कि विदेश जाने वाले युवाओं का पहले उन्मुखीकरण (ओरिएंटशन) किया जा रहा है। इसके लिए 36 अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर बनाया गया है। पटना, गया, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर व दरभंगा प्रमंडल में हर माह होने वाले उन्मुखीकरण कार्यक्रम में कामगारों को विदेश में बरती जाने वाली सावधानियों से अवगत कराया जा रहा है। जिलों के नियोजनालयों के माध्यम से प्रचार-प्रचार किया जा रहा है।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 23.1.2019)

लाइन दोहरीकरण कार्य प्राथमिकता के आधार पर करें पूरा

रेलवे बोर्ड सदस्य, इंजीनियरिंग विश्वेश चौबे दिनांक 24.1.2019 को एक दिवसीय दौरे पर पूर्व-मध्य रेल पहुँचे। महेन्द्र स्थित सभागार में उन्होंने पूमरे के महाप्रबंधक एल० सी० त्रिवेदी एवं अन्य विभागाध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठक की तथा पूमरे में चल रहे निर्माण कार्यों एवं आगामी कार्य योजनाओं का जायजा लिया।

बैठक में सदस्य इंजीनियरिंग, रेलवे बोर्ड श्री चौबे ने कहा कि रेलवे के निर्माण कार्यों में ईपीसी कान्ट्रेक्ट को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि बड़ी कंपनियों के आने से गुणवत्ता के साथ-साथ कार्य समय पर पूरा किया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने पूमरे में चल रहे निमार्ण कार्यों की समीक्षा की और निर्देशित किया कि दोहरीकरण को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए, जिससे रेल परिचालन और समय पालन में सुधार हो सके तथा ज्यादा से ज्यादा ट्रेनों के परिचालन में सुविधा हो सके। उन्होंने सोननगर पुल पर तीसरी लाइन के चालू हो जाने पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि पूमरे में चल रही निर्माण परियोजनाओं के लिए धन की कमी नहीं आने दी जायेगी। इसके साथ ही उन्होंने चल रही निर्माण परियोजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश भी दिया।

इसके पूर्व समीक्षा बैठक के प्रारंभ में पूमरे महाप्रबंधक श्री त्रिवेदी ने यहाँ चल रही निर्माण परियोजनाओं पर प्रकाश डाला। बैठक के अंत में महाप्रबंधक ने कहा कि हम रेलवे बोर्ड द्वारा दिये गये लक्ष्य को पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। **(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 25.1.2019)**

किरायेदारों का सत्यापन जरूर कराएं, वेबसाइट पर है फॉर्मेट

हाल में राजधानी में हुई आपराधिक घटनाओं के मद्देनजर पटना पुलिस ने एहतियात बरतना शुरू कर दिया है। लॉज और वैसे मकान जहाँ बड़ी संख्या में किरायेदार रहते हैं, उनके मकान मालिकों को किरायेदारों का पूरा ब्योरा स्थानीय थाने में देना होगा। मकान मालिकों का किरायेदारों के सत्यापन के लिये प्रोफार्मा नहीं होने का बहाना नहीं चलेगा। पटना पुलिस की वेबसाइट पर किरायेदारों और

दाई-नौकरों के सत्यापन का प्रोफार्मा डाल दिया गया है। यहाँ से इसे आसानी से लोड किया जा सकता है। फॉर्म को भरकर स्थानीय थाने में जमा करना होगा। एसएसपी गरिमा मलिक ने यह स्पष्ट किया है कि अपने किरायेदारों का सत्यापन नहीं करवाने वाले लॉज मालिकों पर पुलिस सख्ती बरतेगी।

आपकी सुरक्षा के लिये यह जरूरी है

"नौकर-दाई और किरायेदारों के सत्यापन को लेकर एक अभियान चलाया जायेगा। ऐसे इलाके जहाँ अधिक संख्या में लॉज हैं, वहाँ का सत्यापन पुलिस करायेगी। इस प्रकिया की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई भी हो सकती है। मेरी अपील है कि लोग जागरुक हों और किरायेदारों के सत्यापन की प्रकिया का पालन करें।" – गरिमा मलिक, एसएसपी, पटना

इस वेबसाइट पर उपलब्ध है प्रोफार्मा : www.patnapolice.bih.nic.in

मकान मालिक कर सकते हैं कमाई

अब आप अपने घर में ठहरा सकते हैं देशी-विदेशी पर्यटक

पर्यटन स्थल के आस-पास आपका मकान है और उसमें एक से छह कमरे हैं, तो आप देशी-विदेशी पर्यटकों को अपना कमरा किराये पर दे सकते हैं। इस तरह आप घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटकों को लुभाने और उनकी सुख-सुविधा के लिए बेड एंड ब्रेकफास्ट होम स्टे योजना शुरू की है।

आवेदन कहाँ करें : इच्छुक व्यक्ति आर ब्लॉक स्थित (इंजीनियरिंग भवन) भारत पर्यटन, पटना के कार्यालय में कार्य दिवस के दौरान आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके अलावा www.tourism.gov.in के जरिये आवेदन-पत्र प्राप्त और जमा कर सकते हैं। **(साभार : प्रभात खबर, 25.1.2019)**

बांद्रा-पटना हमसफर अब सहरसा से चलेगी

ट्रेन संख्या 22913 व 22914 बांद्रा-पटना हमसफर एक्सप्रेस अब सहरसा तक जाएगी। दरअसल देश के विभिन्न भागों के कुल 22 ट्रेनों के परिचालन का विस्तार किया गया है। यह जानकारी नई दिल्ली में केन्द्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एक प्रेसवार्ता में दी।

खुशखबरी : • कोसी क्षेत्र को मिली एक और वीआईपी ट्रेन • बेगूसराय और खगड़िया में भी हमसफर का ठहराव तय

दो अन्य ट्रेनों को विस्तार : इधर पूमरे के सीपीआरओ राजेश कुमार ने बताया कि पूर्व मध्य रेल से गुजरने वाली दो अन्य गाड़ियों का भी परिचालन विस्तार किया गया है। कामाख्या जयपुर कविगुरु एक्सप्रेस को उदयपुर तक जबकि सिंगरौली, शक्तिनगर और बरेली के बीच चलने वाली त्रिवेणी एक्सप्रेस को टनकपुर तक चलाया जाएगा। सहरसा से कटिहार के रास्ते आनंदविहार के लिये चंपारण हमसफर एक्सप्रेस का परिचालन पहले से ही किया जा रहा है।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 24.1.2019)

हजारीबाग टाउन को मिली लंबी दूरी की ट्रेन

केन्द सरकार ने झारखंड के हजारीबाग टाउन को बहुप्रतीक्षित लंबी दूरी की ट्रेन की सौगात दी है, जिससे यह शहर राँची और पटना से सीधा जुड़ जाएगा। हजारीबाग टाउन को मुरी, बरकाकाना, कोडरमा, गया और जहानाबाद के रास्ते राँची और पटना से जोड़ने के लिए ट्रेन संख्या 08623/08624 का परिचालन शीघ्र शुरू किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने रांची-पटना एक्सप्रेस के परिचालन को हरी झंडी दे दी है।

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने केन्द्रीय नागर विमानन राज्य मंत्री एवं हजारीबाग से सांसद जयंत सिन्हा को इस आशय का पत्र सौंप दिया है। इस वर्ष 2 या 3 फरवरी को इस ट्रेन का परिचालन शुरू होने और इस कार्यक्रम में रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा के आने की उम्मीद है। पिछले वर्ष छठ पर्व के दौरान गाड़ी संख्या 08623/08624 को विशेष ट्रेन के रूप में चलाया गया था, जिसकी स्थानीय लोगों ने काफी सराहना की थी। **(विस्तृत : राष्ट्रीय सहारा, 24.1.2019)**

पटना को एक और सॉफ्टवेयर पार्क की मिलेगी सौगात

इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े लोगों को अब आइटी इंडस्ट्री में काम करने व निवेश के लिए किसी मेट्रो शहर में कूच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पटना में ही अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। पटना में दूसरे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना होने जा रही है। सॉफ्टवेयर पार्क 'प्लग एंड प्ले' इन्क्यूबेशन सेंटर के रूप में विकसित होगा। लागत 25.5 करोड़ आयेगी। सीएम नीतीश कुमार फरवरी के पहले सप्ताह में इसका शिलान्यास करने जा रहे है। शिलान्यास के लिए तिथि तय करने के लिए बीते रोज ही सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के अफसरों ने राज्य शासन के शीर्ष अफसरों से मुलाकात की। बिहार सरकार ने पहले से ही पाटलिपुत्र कॉलोनी में सॉफ्टवेयर पार्क के ठीक पीछे एक लाख वर्ग मीटर जमीन आवंटित कर दी है। इस सॉफ्टवेयर पार्क में आइटी के अलावा बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्स आदि कार्य होंगे।

क्या है 'प्लग एंड प्ले' : इस तरह के इन्क्यूबेशन सेंटर का इन्फ्रास्ट्रक्चर बेहद हाइटेक होता है। केवल लेपटॉप ले जाकर सीधे काम शुरू कर सकते हैं। उसमें सारी सुविधाएँ पहले से मौजूद होंगी। इन्क्यूबेशन सेंटर में नव निवेशकों को हर तरह की सुविधा और मौका देकर बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाया जाता है। ऐसा सरकारी मदद से किया जाता है।

स्पेशल फैक्ट : • पार्क में निवेशकों की संभावित संख्या 55 • पार्क में जगह उपलब्ध होगी 45 वर्ग फीट।

यहाँ भी खुलेंगे सॉफ्टवेयर पार्क : दरभंगा और भागलपुर में भी ऐसे सॉफ्टवेयर पार्क खुलेंगे। दोनों के लिए 10-10 हजार वर्ग फूट जमीन आवंटित की जा चुकी है। **(साभार : प्रभात खबर, 25.1.2019)**

बिहार में पर्यटकों की संख्या 12 लाख बढ़ी

बीते वर्ष 2018 में बिहार आने वाले पर्यटकों की संख्या में 12 लाख की वृद्धि हुई है। 2017 की तुलना में यह लगभग साढ़े तीन फीसदी अधिक है। अगर विदेशी पर्यटकों की बात करें तो उसमें मामूली वृद्धि हुई है। इनकी संख्या मात्र 5266 बढ़ी है। उधर, पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण कई जिलों में पर्यटकों की संख्या घटी है।

आंकड़े जारी : • विदेशी पर्यटकों की संख्या में मामूली 5266 की हुई वृद्धि • पटना में पर्यटकों की संख्या में 21 लाख की कमी आई • 13वाँ स्थान है बिहार का देश में घरेलू पर्यटकों के मामले में • 8वें स्थान पर विदेशी पर्यटकों के मामले में है राज्य

कुल पर्यटक आए : • 2017 - 33496768 • 2018 - 34709584

विदेशी पर्यटक : • 2017 - 1082705 • 2018 - 1087971

राजगीर में अप्रत्याशित वृद्धि : राजगीर में सैलानियों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। यहाँ 39 लाख 21 हजार 361 पर्यटक आए। यह संख्या 2017 से 24 लाख सात हजार अधिक है। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 23.1.2019)**

EDITORIAL BOARD

Editor
AMIT MUKHERJI
Secretary General

Convenor
RAMCHANDRA PRASAD
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org